No. RITES/SECY/NSE दिनांक**: 23** अक्टूबर**, 2026**

To लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सचेंज प्लाजा, सी -1, ब्लॉक जी, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051 Listing Department, National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400051	To कॉर्पोरेट संबंध विभाग, बीएसई लिमिटेड, रोटुंडा बिल्डिंग, पी जे टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 001 Corporate Relationship Department, BSE Limited, Rotunda Building, P J Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001
Symbol- RITES	**Scrip Code-** 541556

विषय: **निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण को इक्विटी शेयरों के अनिवार्य हस्तांतरण के लिए समाचार पत्र प्रकाशन**

Subject: Newspaper publication for mandatory transfer of equity shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

प्रिय महोदय/महोदया,

Dear Sir/ Madam,

कृपया 23 अक्टूबर, 2026 को समाचार पत्र फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) के सभी संस्करणों एवं जनसत्ता (हिंदी) के सभी संस्करणों में प्रकाशित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण को इक्विटी शेयरों के अनिवार्य हस्तांतरण के संबंध में शेयरधारकों को जारी नोटिस से संबंधित विज्ञापन की प्रतियां संलग्न हैं।

Please find enclosed the copies of advertisement published in newspapers regarding notice to shareholders for mandatory transfer of equity shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority published in Newspapers viz. all editions of Financial Express (in English) and Jansatta (in Hindi) on October 23, 2026.

यह आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए है।

This is for your information and records.

आपको धन्यवाद।

Thanking you

आपका विश्वासी/Yours sincerely,

राइट्स लिमिटेड के लिए/For RITES Limited

NIKHIL AGARWAL

Digitally signed by NIKHIL AGARWAL
Date: 2026.10.23 10:04:19 +05'30'

(निखिल अग्रवाल)/ Nikhil Agarwal

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी/ Company Secretary & Compliance Officer

सदस्यता संख्या: A42626/ M.No. A42626

ORDERS CAPPED AT TWO UNITS PER CUSTOMER

Apple's foldable sale in India comes with purchase curbs

ASHUTOSH MISHRA
New Delhi, October 22

APPLE'S FIRST FOLDABLE smartphone, the iPhone Duo, will go on sale globally on Friday, October 23, but customers in India will not be able to buy the device as walk-in purchasers on launch day, with in-store availability restricted to those who have already placed online orders.

The restriction comes amid limited initial supplies of the ₹2,99,900 device and strong early demand, according to analysts. Apple, however, said there will be limited walk-in purchases allowed in the US, Australia, Canada, Mexico and much of the UK and Europe.

Apple has also capped purchases at two iPhones per customer on its Indian online store. Customers can order two units of the same model or combine two different models, but cannot purchase more than two devices in a single order. The company has not publicly explained the rationale behind the cap.

Upasana Joshi, senior research manager at IDC India and SEA, attributed the restrictions primarily to supply constraints, including a shortage of memory components affecting Apple's smartphone lineup.

"A first-generation foldable adds further complexity, so initial volumes will be limited," Joshi said. Per-customer caps could help distribute scarce inventory among more buyers and discourage bulk purchases for resale, she added.

The limited supply could push some purchases into early 2027, rather than significantly affecting overall demand, Joshi said. "The Duo is more significant for Apple's premium positioning than for India volumes," she added.

Analysts also said the supply-demand imbalance could also fuel grey-market sales, with some buyers seeking devices from overseas to avoid waiting for official supplies.

The limited availability will definitely fuel the grey market," Tarun Pathak, research director, Counterpoint said, adding that demand in this case is definitely much more than supply.

Pathak said early interest had exceeded expectations, with pre-booking interest reaching nearly three times the level observed around the device's announcement. However, he expects the market at this price point to remain niche in the near term.

"At three lakhs, the market is very niche. I'll say only like less than 1% of the market operates in that segment," he said.

Joshi said that the duo has arrived as the market moves towards higher prices, with IDC expecting smartphone ASPs to rise in strong double digits in 2026, as India's ASP hit a record $315 in Q2 '26.

"Premium demand remains comparatively resilient, supported by financing options. Apple's entry is a catalyst for the foldable category and an added challenge for Samsung, which has led it for almost a decade," she added.

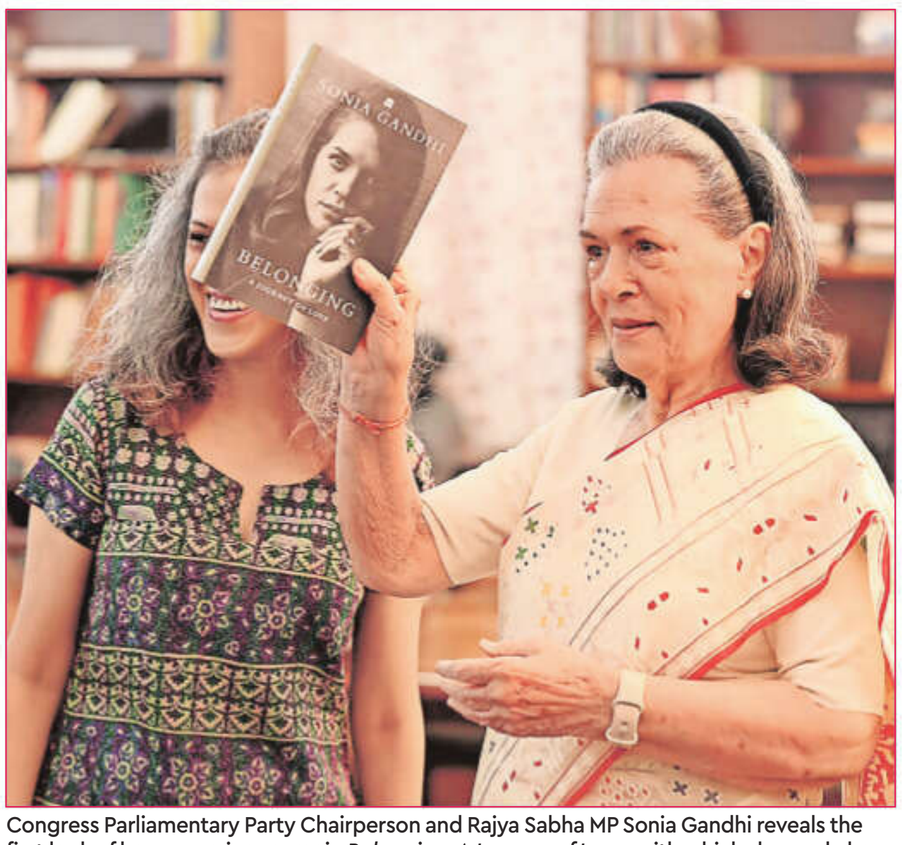
The iPhone Duo will be available in Star White and Night Sky, with four storage configurations ranging from ₹2,99,900 to ₹4,49,900. The device features a 5.4-inch outer display and a larger inner screen, and is powered by Apple's A20 Pro chip.

PREMIUM PLAY



- Apple's ₹2,99,900 iPhone Duo launches globally today
- Launch-day walk-ins restricted; only existing online buyers can collect devices
- Four storage configurations priced up to ₹4,49,900 are available
- Pre-booking interest reached nearly three times announcement-level interest, says Counterpoint
- Pre-booking interest reached nearly three times announcement-level interest
- Apple's entry a catalyst for the foldable category, led by Samsung

A NEW CHAPTER



Congress Parliamentary Party Chairperson and Rajya Sabha MP Sonia Gandhi reveals the first look of her upcoming memoir, *Belonging: A Journey of Love*, with which she made her debut on Instagram, in New Delhi on Thursday PTI

INDIA bloc meeting deferred

THE PROPOSED VIRTUAL meeting of the INDIA bloc on the future course of action on protests against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar has been deferred, sources said.

The meeting was to be held on Thursday evening to deliberate on the roadmap for protests over the "vote chori" issue and on ways to press for the Chief Election Commissioner's resignation, the sources added.

Congress President Mallikarjun Kharge was to chair the meeting, which will also review the preparations for the INDIA bloc's rally in Delhi on November 1, they said.

The INDIA bloc leaders were to brainstorm on charting out the roadmap of protests, review the preparations for the November 1 rally and discuss ways to corner the government over the 'vote chori' issue soon during the meeting. —PTI

Auto-braking to become mandatory by 2030

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, October 22

THE ROAD MINISTRY has proposed mandating Advanced Emergency Braking Systems (AEBS) for all new car models starting October 2030 to curb road accidents.

The Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH), in a draft notification dated October 19, 2026, said that for pre-2030 still-in-production models, AEBS would be mandatory from October 2032.

AEBS provides automatic braking in the event of failure of the driver to respond to emergency situations to either avoid a crash or reduce the impact of a collision.

"Provided that, M1 category of vehicles manufactured on and after 1st October 2030 in the case of new models and 1st October 2032 in the case of all models shall be fitted with Advanced Emergency Braking System, conforming to AIS-185, as amended from time to time," the draft notification said.

The government has mandated multiple measures, especially focused on braking systems, to enhance the safety of medium and heavy-duty vehicles.

To enhance brake performance, a revised braking standard has been mandated for trucks effective October 1, 2027.

Braking systems have been advanced with the mandatory implementation of electronic stability control systems (AIS 162) for trucks from October 1, 2027, which provide stability, especially in the event of braking at curves.

Musk's political baggage weighs on SpaceX-Tesla mega merger

REUTERS
October 22

A POSSIBLE MERGER between Elon Musk's rocket company SpaceX and carmaker Tesla may face bigger obstacles from politics than from regulation, drawing scrutiny in Beijing and potentially igniting a battle between US President Donald Trump and the Democrats.

Musk revived speculation about a tie-up this week, calling it a "a good idea" and confirming that committees at both companies were reviewing a deal, a step toward what could create largest merger in history and create a giant worth $3.5 trillion.

But a merger would unite one of US government's key aerospace and defence contractors with one of major US manufacturers—a combination likely to raise questions about national security risks both in Washington and in Beijing.

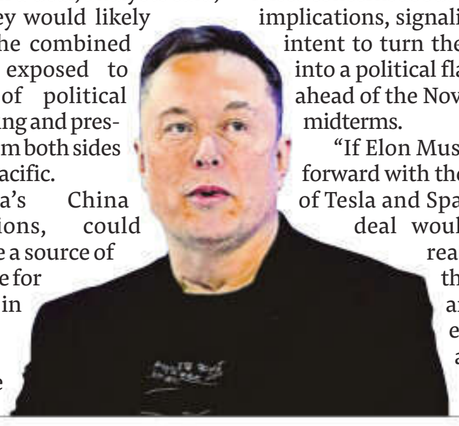
Those concerns are unlikely to derail a deal, analysts said, but they would likely leave the combined entity exposed to years of political wrangling and pressure from both sides of the Pacific.

Tesla's China operations, could become a source of leverage for Beijing in any future dispute with US, while a Democratic takeover of the US House of Representatives in November's polls could subject deal to congressional probe and political maneuvering.

Democrats immediately raised concerns about the deal's implications, signaling their intent to turn the merger into a political flashpoint ahead of the November 3 midterms.

"If Elon Musk moves forward with the merger of Tesla and SpaceX, the deal would carry real risks that antitrust enforcers across the world would scrutinise," said US Senator Cory Booker, a New Jersey Democrat who sits on both the Judiciary and Foreign Relations committees.

He added that he was prepared to conduct oversight of any deal: "When one person controls the infrastructure that governments and militaries depend on, his business decisions become national security decisions, too."



Tesla shares slip post capex cut

TESLA'S SHARES FELL 2% after the EV maker cut its capital spending forecast, raising concerns among investors counting on heavy investment for Musk's AI and robotics vision.

nido HOME FINANCE

Nido Home Finance Limited
Registered office : 5th Floor, Tower 3, Wing 'B' , Kohinoor City Mall, Kohinoor City, Kirol Road, Kurla (West), Mumbai - 400070

BRANCH OFFICE RELOCATION NOTICE

Notice is herby given that our office located at 2nd Floor, SCO No. 149-150, Sector 8-C, Madhya Marg, Chandigarh -160009, Punjab, will close w.e.f. **21st January, 2027** and will be relocated at new Branch office premises. The new Branch office address will be communicated soon. Existing customers may reach out to our centralized customer service desk on below mentioned details, in case of query.

Email: assistance@nidohomefin.com
Call Center: 1-800-1026371
(Monday – Friday 10 a.m. to 5 p.m.)
Looking forward to your continued support.

nido HOME FINANCE

Nido Home Finance Limited
Registered office : 5th Floor, Tower 3, Wing 'B' , Kohinoor City Mall, Kohinoor City, Kirol Road, Kurla (West), Mumbai - 400070

BRANCH OFFICE RELOCATION NOTICE

Notice is herby given that our office located at 7th & 8th Floor, Kochar Tower, Old door no. 10, New Door No.19, Venkatnarayanan Road, T. Nagar, Chennai - 600017, Tamil Nadu, will close w.e.f. **21st January, 2027** and will be relocated at new Branch office premises. The new Branch office address will be communicated soon. Existing customers may reach out to our centralized customer service desk on below mentioned details, in case of query.

Email: assistance@nidohomefin.com
Call Center: 1-800-1026371
(Monday – Friday 10 a.m. to 5 p.m.)
Looking forward to your continued support.

HBL ENGINEERING LIMITED
(Formerly HBL Power Systems Limited)
CIN:L40109TG1986PLC006745
Regd. Off: 8-2-601, Road No. 10, Banjara Hills, Hyderabad – 500 034, Telangana

NOTICE OF BOARD MEETING

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 and 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, November 07, 2026, inter-alia to consider and to take on record unaudited (standalone & consolidated) financial results for quarter ended on September 30, 2026, and to recommend final dividend.

The information contained in this notice is also available on Company's website at **https://hbl.in/Investors-Details.html** and on the Stock Exchange website (BSE: **www.bseindia.com** & NSE: **www.nseindia.com**)

For HBL Engineering Limited
(Formerly HBL Power Systems Limited)
Sd/- G B S Naidu
Company Secretary

Place : Hyderabad
Date : 22.10.2026

RITES LIMITED
(A Navratna CPSE)

Registered Office: SCOPE Minar, Laxmi Nagar, Delhi – 110092
Website: www.rites.com; E-mail: cs@rites.com
CIN: L74899DL1974GOI007227
NOTICE TO SHAREHOLDERS
Notice for transfer of Equity Shares to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

Pursuant to Section 124(5) of the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, (IEPF Rules, 2016) and statutory amendment thereunder, the Company is required to transfer the amount of unpaid dividend remaining unpaid and unclaimed for a continuous period of seven (7) years from the date of transfer of such amount to Unpaid Dividend Account to the Investor Education and Protection Fund set up by the Central Government.

Further, pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and IEPF Rules, 2016, all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more, shall also liable to be transferred to Demat Account of IEPF Authority.

Details of the shareholders in respect of shares for which dividend had remained unclaimed or unpaid for seven consecutive years and liable to be transferred to the IEPF Authority's Demat Account, are available on the website of the Company at **https://www.rites.com/InvestorResource.**

1st (First) Interim Dividend for financial year 2019-20 @ Rs.6/- per equity share was declared on December 27, 2019 and the same was paid in the month of January 2020. As per the provisions of the Companies Act, 2013, the unpaid and unclaimed amounts of the 1st (First) Interim Dividend for financial year 2019-20 became due for transfer to Investor Education and Protection Fund in the month of March, 2027. The corresponding shares of the holders who have not encashed/ claimed their dividend for seven consecutive years are also liable to be transferred to IEPF Authority's Demat Account.

Shareholders may please note that if any amount /shares are transferred to the IEPF Authority, then the same has to be claimed from the 'Investor Education and Protection Fund Authority' following the procedure as provided under the Companies Act, 2013 and IEPF Rules, 2016.

To avoid the inconvenience of claiming the refund/ shares from 'Investor Education and Protection Fund Authority', shareholders who have not received/ claimed/ encashed warrant(s) relating to 1st (First) Interim Dividend for financial year 2019-20, may lodge their claims with the RTA i.e. Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd., Beetal House. 3rd Floor, 99 Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi- 110062. Tel.: (011)29961281, 29961283, Fax: (011)- 29961284 and Email: **beetalrta@gmail.com** and **rites@beetalfinancial.com** or with the Nodal Officer i.e. Company Secretary of the Company at the Corporate Office of the Company at SHIKHAR, Plot No.1, Sector-29, Gurugram, Haryana-122001. Shareholders may kindly ensure that claim, if any, shall be received by the RTA/ Company on or before on or before January 31, 2027 to ensure that unclaimed/ unpaid dividend amount and shares are not transferred to the IEPF Authority.

Shareholders(s) are requested to keep their email ID and other relevant details updated with their Depository Participant (DP), in case of shares held in dematerialized form and with the Company/ RTA, in case of shares held in physical form.

For and on behalf of RITES Ltd.
Sd/-
(Nikhil Agarwal)
Company Secretary & Compliance Officer
M. No.: A42626

Date: 22.10.2026
Place: Gurugram

We Shape What Shapes Lives www.rites.com
Future Ready Not just more of the same; but much more of the New!

GIC HOUSING FINANCE LTD.
(CIN L65922MH1989PLC054583)
Reg. Off.: National Insurance Building, 6th Floor, 14, Jamshedji Tata Road, Churchgate, Mumbai 400020
Email: investors@gichf.com, corporate@gichf.com /Tel.: 022-43041900

NOTICE TO SHAREHOLDERS

A. Special Window for Transfer and Dematerialisation of Physical Shares

Notice is hereby given to Shareholders that in terms of SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 dated January 30, 2026 the Special Window has been extended for a period of one year from February 05, 2026 to February 04, 2027, to facilitate re-lodgement of transfer requests of physical shares. This facility is available for transfer deeds that were lodged prior to April 01, 2019, but were rejected/returned/not attended due to deficiency in the documents/process/or otherwise.

All transfer requests duly ratified and re-lodged during the aforesaid period will be processed through the transfer-cum-demat-mode i.e. the shares will be issued only in dematerialised form after transfer. The Lodger(s) must have a demat account and provide Client Master List (CML) not older than 2 months along with the transfer document(s), share certificate(s), and other necessary document(s) while lodging the documents for transfer with our Registrar and Share Transfer Agent (RTA). Eligible shareholders are requested to contact the Company's RTA i.e. KFin Technologies Limited at their email ID: einward.ris@kfintech.com or send the requisite documents at their office at KFin Technologies Limited, Selenium Building, Plot No-31 & 32 Financial District, Nanakramguda, Serllingampally, Hyderabad – 500032, Telegana, India.

B. Update KYC and Convert Physical Shares into Demat Mode

The shareholders who are holding shares in physical form are requested to update their KYC and also requested to convert their physical share certificates into dematerialized form (electronic form). The shareholders are also requested to claim their unclaimed dividend amounts, otherwise, the same will be transferred to Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA) after expiry of seven years along with the Shares due thereon.

For GIC Housing Finance Limited
Sd/-
Raj Gor
Group Head & Company Secretary

Place : Mumbai
Date : 23/10/2026

STEL Holdings Limited
(CIN: L65993KL1990PLC005811) Regd. Office: 24/1624, Bristow Road, Willingdon Island, Cochin - 682003, Kerala Ph: 0484 6624335 Fax: 0484 - 2668024
Email: secretarial@stelholdings.com Website: www.stelholdings.com

Special Window for transfer and dematerialisation of Transfer of Securities

Pursuant to SEBI Circular No.: HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 dated January 30, 2026, it is hereby informed that SEBI has opened another special window for transfer and dematerialisation ("demat") of physical securities that were sold or purchased prior to **April 01, 2019.** This special window shall be open for a period of one year from **February 05, 2026 to February 04, 2027**.

The facility shall also be available for such transfer requests which were submitted earlier and were rejected/ returned / not attended due to deficiency in the documents/ process or otherwise. The shares re-lodged for transfer will be processed only in demat form and shall be under lock-in for a period of one year from the date of registration of transfer.

Eligible shareholders may submit their transfer requests along with the requisite documents to the Company's Registrar to an Issue and Share Transfer Agent (RTA), MUFG Intime India Private Limited, Surya 35, Mayflower Avenue, Behind Senthil Nagar, Sowripalayam Road, Coimbatore – 641028, Email:investor.helpdesk@in.mpms.-mufg.com, within the stipulated period.

Update KYC and convert physical shares into demat mode.

The shareholders holding shares in physical form are requested to update their KYC details (PAN, address, bank account, nominee etc.) and also requested to convert physical share certificates into demat form.

The requisite documents/information as prescribed in the relevant circular (quoted above) shall be mandatorily submitted for processing, and the said circular may be accessed from the website of the Company at www.stelholdings.com.

For **STEL Holdings Limited**
Sd/-
Sruthi Sindhu
Company Secretary and Compliance Officer

Cochin - 682003
22.10.2026

FRANKLIN TEMPLETON

Franklin Templeton Mutual Fund
Registered Office: One International Center, Tower 2, 12th and 13th Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road (West), Mumbai 400013

Income Distribution cum capital withdrawal (IDCW) in certain schemes /plans /options of Franklin Templeton Mutual Fund

The Trustees of Franklin Templeton Mutual Fund have decided to distribute the following Income Distribution cum capital withdrawal (IDCW):

Name of the Schemes / Plans / Options	Face Value per Unit (₹)	Amount of IDCW per Unit# (₹)	NAV per Unit as on October 21, 2026 (₹)
Franklin India Equity Savings Fund (FIESF)			
FIESF – Monthly IDCW Plan	10.00	0.065	13.0319
FIESF – Monthly IDCW Plan - Direct		0.085	13.5174
Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund of Funds (FIDAAF)			
FIDAAF – IDCW Plan	10.00	0.700	38.6887
FIDAAF – IDCW Plan – Direct		0.950	46.0585
Franklin India Aggressive Hybrid Fund (FIAHF)			
FIAHF – IDCW Plan	10.00	0.170	26.2666
FIAHF – IDCW Plan – Direct		0.220	31.5272

The Record Date for the same will be October 27, 2026 (Tuesday). If in case the Record Date falls on a non-Business Day, the immediately following Business Day shall be the Record Date. All the Unitholders / Beneficial Owners of the IDCW plan / option of the scheme whose names appear in the records of Registrar / Depositories as on the Record Date shall be entitled to receive IDCW. The investors in the IDCW re-investment plan/option will be allotted units for the IDCW amount at the NAV of next Business Day after the Record Date.

Please note that the IDCW payout shall be subject to the availability of distributable surplus and if the available distributable surplus as on the record date is lower than the aforementioned IDCW rate, then the available distributable surplus shall be paid out. The payout shall be subject to tax deducted at source i.e. TDS, as applicable.

Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the scheme would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

For **Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt. Ltd.**
(Investment Manager of Franklin Templeton Mutual Fund)

Sd/-
Authorized Signatory
Date: October 22, 2026

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

तीन माह में सिर्फ आठ पास, परवान नहीं चढ़ पा रही एमएसटी योजना

हर्ष मिश्रा
नोएडा, 22 अक्तूबर।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा से मेरठ तक रोजाना सफर करने वाले नौकरीपेशा लोगों और छात्र-छात्राओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की मासिक सीजन टिकट (एमएसटी) योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जुलाई में शुरू हुई इस सुविधा के तहत तीन महीने में मेरठ रूट पर महज आठ पास बने हैं। प्रचार-प्रसार के अभाव और जटिल प्रक्रिया के चलते यात्रियों को अब भी पूरा किराया देकर सफर करना पड़ रहा है।

> **नोएडा** डिपो में 200 से अधिक बसें विभिन्न रूटों पर संचालित होती हैं। इनमें नोएडा-मेरठ मार्ग प्रमुख है।

नोएडा डिपो में 200 से अधिक बसें विभिन्न रूटों पर संचालित होती हैं। इनमें नोएडा-मेरठ मार्ग प्रमुख है, जहां 40 से अधिक बसें चलती हैं और रोजाना करीब 10 हजार यात्री सफर करते हैं। इसी को देखते हुए इस रूट पर एमएसटी योजना शुरू की गई थी, लेकिन यात्रियों तक इसकी जानकारी नहीं पहुंच सकी।

अधिकारियों का कहना है कि जागरूकता की कमी के कारण पास कम बन रहे हैं, जबकि यात्रियों के मुताबिक डिपो प्रशासन ने योजना की जानकारी देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सेक्टर-35 स्थित मोरना डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रोहिताश कुमार के अनुसार, सितंबर में नोएडा डिपो से विभिन्न रूटों के कुल 548 मासिक पास बनाए गए, जिनमें 60 फीसदी छात्र थे।

मेरठ से नोएडा सेक्टर-62 नौकरी करने आने वाले अरुण शर्मा को एमएसटी सुविधा की जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि न परिचालक ने बताया, न डिपो पर कहीं इसकी जानकारी पढ़ने को मिली। नोएडा से मेरठ रोजाना सफर करने वाली रश्मि ने भी योजना की जानकारी होने से इनकार किया। वहीं, मेरठ से नोएडा के आइएमएस कालेज आने वाले आर्यन ने बताया कि उन्होंने पास बनवाने की कोशिश की थी, लेकिन आधार और आइडी कार्ड दिखाने के बाद भी कालेज से लिखवाकर लाने को कहा गया। परिवहन निगम के नियमों के अनुसार, सामान्य यात्री 100 किलोमीटर के दायरे में एमएसटी बनवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें 60 एकल यात्राओं के बजाय 36 यात्राओं के बराबर किराया देना होता है। छात्रों के लिए 60 किलोमीटर की सीमा है और उन्हें 26 एकल यात्राओं के मूल्य पर पास मिलता है। गौतमबुद्ध नगर के क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार सिंह ने यात्रियों से डिपो पहुंचकर पास बनवाने की बात कही है।

प्रस्ताव 29,000, निपटारा सिर्फ 2,900 का

दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की रफ्तार धीमी

भूपेंद्र पांचाल
नई दिल्ली, 22 अक्तूबर।

राष्ट्रीय राजधानी की अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने को लेकर दिल्ली सरकार भले ही बड़े दावे कर रही हो लेकिन योजना की रफ्तार काफी धीमी है। दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र सरकार के समक्ष पेश की गई प्रगति रिपोर्ट में साफ किया गया है कि उसको पीएम-उदय योजना के तहत अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण से जुड़े 29,000 प्रस्ताव मिले हैं। इनमें से राजस्व विभाग 2,900 प्रस्तावों का ही निपटारा कर पाया है। इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली सरकार अभी तक केवल दस फीसद मामलों को ही निपटाने का काम कर पाई है। केंद्र ने भी इस मामले में दिल्ली सरकार की इस तरह की प्रगति पर असंतुष्टि जताई है।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, अनधिकृत कालोनियों के नियमन से जुड़े मामले में दिल्ली सरकार कार्यान्वयन एजंसी के तौर पर काम कर रही है। जबकि इससे पहले इसका जिम्मा दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के पास था। गत अप्रैल को दो अलग अलग आदेश जारी किए गए थे जिनके बाद नियमों में संशोधन कर डीडीए की जगह यह पूरा काम दिल्ली सरकार को सौंपा गया था। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीनस्थ राजधानी विकास विभाग (डीसीडी) इस पूरे मामले को बारीकी से देख रहा है।

सूत्र बताते हैं कि डीसीडी की स्थापना इस साल जुलाई में इसी मकसद से की गई थी कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरी विकास, योजना और प्रबंधन पर विशेष बल रहे। एक अधिकारी के

> **अनधिकृत** कालोनियों के नियमन से जुड़े मामले में दिल्ली सरकार कार्यान्वयन एजंसी के तौर पर काम कर रही है। जबकि इससे पहले इसका जिम्मा डीडीए के पास था।

मुताबिक, डीसीडी के सचिव ने सरकार को नियमों के तहत लंबित आवेदनों को भी जल्द से जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। पीएम उदय योजना के नियमों को समझने पर बनी असमंजस की स्थिति भी साफ की गई है कि अधिसूचना के खंड छह में सूचीबद्ध किसी भी अनधिकृत कालोनी का निवासी इस योजना के लिए पात्र है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी अक्तूबर 2019 के नियमों में विस्तृत जानकारी दी गई है।

अधिकारिक सूत्र बताते हैं कि अनधिकृत कालोनियों की कट आफ डेट पर बनी कुछ समस्या पर भी डीसीडी सचिव ने कार्यान्वयन एजंसी को स्पष्ट किया है कि कोई भी अनधिकृत कालोनी जो एक जून 2014 को अस्तित्व में थी और कोई भी ऐसी कालोनी जो एक जनवरी 2015 (कट-आफ तारीख) तक 50 फीसद विकसित हो चुकी थी, वह अपने निवासियों को मान्यता दिलाने के लिए पात्र है। बताया जाता है कि 1,511 कालोनियों के नियमन को रफ्तार देने के लिए के लिए और अधिक जीआइएस एजंसियों के पैनल को शामिल किया जा रहा है। डीडीए जीआएएस सर्वेक्षणों में तेजी लाने का काम करेगा। भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग संस्थान (बिसाग-एन) के साथ पीएम-उदय पोर्टल में आने वाली समस्याओं को भी दूर किया जा रहा है।

जल आपूर्ति बेहतर बनाने के लिए बनाए जा रहे भूमिगत जलाशय : रेखा गुप्ता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 अक्तूबर।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना की सफाई और उसके पुनरुद्धार की परियोजनाओं को दिल्ली के लिए महत्त्वपूर्ण कदम बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार जताया। इस दौरान उन्होंने बताया कि राजधानी में जलापूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नए भूमिगत जलाशयों का भी निर्माण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि द्वारका में 50 एमजीडी क्षमता का जल शोधन संयंत्र कार्यरत है। उन्होंने चंद्रावल में 105 एमजीडी क्षमता वाले संयंत्र और बवाना में दो एमजीडी क्षमता वाले पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) संयंत्र से संबंधित कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जलापूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बिजवासन, पल्ला, सिरसपुर और रजोकरी में नए भूमिगत जलाशयों (यूजीआर) का निर्माण पूरा किया जा चुका है।

वहीं, संगम विहार, तुगलकाबाद, शाहदरा, चाणक्य प्लेस और जनकपुरी सहित अन्य क्षेत्रों में भी भूमिगत जलाशयों से जुड़े कार्यों को मंजूरी के बाद आगे बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने अपने लगभग डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से 29 विकेंद्रीकृत एसटीपी की परियोजनाओं के कार्य आबंटित किए हैं।

त्रिपुरा के युवक के साथ नस्लीय व्यवहार करने वाला आरोपी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 अक्तूबर।

पुलिस ने त्रिपुरा के युवक के साथ कथित रूप से नस्लीय व अपमानजनक व्यवहार करने के आरोपी 'कंटेंट क्रिएटर' को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पुलिस ने घटना की प्रसारित वीडियो का स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था।

उत्तर दिल्ली की पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) निहारिका भट्ट ने बताया कि कंटेंट क्रिएटर अमीर शौकीन सदर बाजार क्षेत्र का एक बुरे चरित्र (बीसी) का व्यक्ति है और पहले भी झगड़े के कई मामलों में शामिल रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उसे करोल बाग इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक आपरेशंस (आइएफएसओ) इकाई कथित नस्लीय दुर्व्यवहार के प्रसारित वीडियो की जांच कर रही है।

अधिकारियों ने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष पुलिस इकाई ने आइएफएसओ इकाई को औपचारिक रूप से पत्र लिखकर वीडियो की जांच करने के लिए कहा है। इससे पहले पुलिसकर्मियों ने आमिर शौकीन नाम के कंटेंट क्रिएटर के आवास का भी दौरा किया लेकिन वह वहां नहीं मिला। यह घटनाक्रम सोशल मीडिया पर वीडियो की व्यापक निंदा के बीच सामने आया है।

स्थानांतरण रुकवाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना जारी कर दिए पत्र

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 अक्तूबर।

दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी स्थानांतरित होने के बाद भी नई जगहों पर नियुक्ति के निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। विभाग के संज्ञान में ऐसे मामले भी आए हैं जिसमें कुछ शाखाएं/कार्यालय की ओर से ऐसे फर्जी तरह से पत्र जारी किए जा रहे हैं जिनमें कर्मचारियों को जहां थे, वहीं पर बनाए रखने के अनुरोध किए गए। पत्रों को सक्षम प्राधिकारी की ओर से मंजूरी मिलने का हवाला देकर गलत दावा कर जारी किया गया है। यह पूरा मामला विभाग की ओर से 13 अक्तूबर को जारी आदेश में कई अधिकारियों और कर्मचारियों को स्थानांतरित (ट्रांसफर) किए जाने से जुड़ा बताया गया है। इन कर्मचारियों ने नई जगह पर नियुक्ति संभालने की रिपोर्ट नहीं की।

> **समाज** कल्याण विभाग ने मामले को बताया गंभीर, परिपत्र जारी कर दी सभी विभागों को चेतावनी।

समाज कल्याण विभाग मुख्यालय की ओर से इस बाबत एक परिपत्र जारी किया गया है जिसमें सभी कार्यालयों और अधिकारियों को अब सख्त सलाह दी गई है कि वह संज्ञान में आए इस तरह की अनधिकृत गतिविधियों से बचने का प्रयास करें। गलत दावा करने वाले ऐसे पत्रों में स्थानांतरित किए गए कर्मचारियों को जहां पर वह हैं, वहीं पर बनाए रखने के अनुरोध किए गए हैं। समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक (प्रशासन-2) की ओर से जारी आदेश में लिटिगेशन ब्रांच की ओर से 21 अक्तूबर को ऐसा पत्र जारी किया गया है जिसमें पता चला कि बिना किसी अधिकार के निदेशक (समाज कल्याण) की मंजूरी का हवाला उसमें दिया गया है। सभी कार्यालयों और अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि आधिकारिक मंजूरियों के बारे में गलत जानकारी देना, नियमों का उल्लंघन और कदाचार माना जाएगा।

राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
प्रशासनिक भवन, चेंबूर, मुंबई 400 074, महाराष्ट्र, भारत
फोन: 00 91 22 2552 2242 / 2753 / 2608
फैक्स: 00 91 22 2552 2320
CIN – L24110MH1978GOI020185

एक वर्ष की अवधि के लिए गैर-बाध्यकारी मात्रा हेतु समझौता ज्ञापन (MOU) करके उर्वरकों एवं उर्वरक कच्चे माल की आपूर्ति के लिए प्रतिष्ठित व्यापारियों को पैनल में शामिल करने हेतु वैश्विक निविदा

उत्पाद:	उर्वरक एवं उर्वरक कच्चा माल
संदर्भ संख्या:	DC / MR / EMP / RM FERTILIZERS: 21905

एक वर्ष की अवधि के लिए गैर-बाध्यकारी मात्रा हेतु समझौता ज्ञापन (MOU) करके उर्वरकों एवं उर्वरक कच्चे माल की आपूर्ति के लिए प्रतिष्ठित व्यापारियों को पैनल में शामिल करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

अंतिम तिथि एवं समय: 14 नवंबर, 2026, भारतीय मानक समय (IST) के अनुसार पूर्वाह्न 11:30 बजे तक।

पैनल में शामिल करने से संबंधित संपूर्ण विवरण RCF की वेबसाइट www.rcfltd.com पर Trombay Tenders अनुभाग में उपलब्ध हैं।

दस्तावेज़ जमा करने हेतु वेबसाइट
https://eprocure.gov.in/eprocure/app

CPP निविदा आईडी: 2026_RCFL_931245_1 — महाप्रबंधक (वाणिज्यिक)

साथ बढ़ें समृद्धि की ओर

राइट्स लिमिटेड
(एक नवरत्न सीपीएसई)
पंजीकृत कार्यालय: स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली – 110092
वेबसाइट: www.rites.com; ई-मेल: cs@rites.com
CIN: L74899DL1974GOI007227

शेयरधारकों को सूचना
विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण को इक्विटी शेयरों के अंतरण संबंधी सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) तथा विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 (आईईपीएफ नियम, 2016) एवं उसके अंतर्गत किए गए वैधानिक संशोधनों के अनुसरण में, कंपनी से यह अपेक्षित है कि अप्रदत्त लाभांश राशि, जो अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरित किए जाने की तिथि से लगातार सात (7) वर्षों की अवधि तक अप्रदत्त एवं अदावाकृत हो, को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित करे।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) और आईईपीएफ नियम, 2016 के अनुसरण में, वे सभी शेयर, जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, उन्हें भी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरिक किया जाना है।

जिन शेयरों के लिए लाभांश लगातार सात वर्षों तक अप्रदत्त अथवा अदावाकृत है और जिन्हें आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किया जाना चाहिए, उनके संबंध में शेयरधारकों का ब्यौरा कंपनी की वेबसाइट https://www.rites.com/InvestorResource पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए प्रथम अंतरिम लाभांश @ ₹6/- प्रति इक्विटी शेयर 27 दिसंबर, 2019 को घोषित किया गया था तथा उक्त लाभांश का भुगतान जनवरी 2020 के माह में किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019–20 के उक्त प्रथम अंतरिम लाभांश की अवैतनिक एवं अदावाकृत राशि मार्च, 2027 के माह में निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (IEPF) में स्थानांतरित किए जाने हेतु देय हो जाएगी।

इसके अतिरिक्त, जिन शेयरधारकों ने लगातार सात वर्षों की अवधि के दौरान अपने लाभांश का दावा नहीं किया है, उनके संबंधित इक्विटी शेयर भी निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण प्राधिकरण (IEPF Authority) के डीमैट खाते में स्थानांतरित किए जाने हेतु उत्तरदायी हैं।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि यदि कोई राशि/शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित कर दिए जाते हैं, तो उसके संबंध में उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 तथा आईईपीएफ नियम, 2016 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 'विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण' से दावा करना होगा।

'विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण' से प्रतिदाय/शेयरों के संबंध में दावा करने में होने वाली असुविधा से बचने के लिए, जिन शेयरधारकों को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए प्रथम अंतरिम लाभांश से संबंधित वारंट प्राप्त नहीं हुए हैं/उनके संबंध में दावा नहीं किया है/प्राप्त नहीं किया है, वे अपने दावे आरटीए अर्थात् बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लि., बीटल हाउस, तृतीय तल, 99 मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के निकट, नई दिल्ली–110062, दूरभाष: (011) 29961281, 29961283, फैक्स: (011) 29961284, ई-मेल: beetalrta@gmail.com एवं rites@beetalfinancial.com या कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय, शिखर, प्लॉट संख्या–1, सेक्टर–29, गुरुग्राम, हरियाणा–122001 में कंपनी के नोडल अधिकारी अर्थात् कंपनी सचिव के पास दर्ज करा सकते हैं। शेयरधारक कृपया यह सुनिश्चित करें कि यदि कोई दावा हो, तो वह वित्तीय वर्ष 2019–20 के प्रथम अंतरिम लाभांश के लिए जनवरी 31, 2027 तक या उससे पहले आरटीए/कंपनी को प्राप्त हो जाए, ताकि अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश राशि एवं संबंधित शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित न किए जाएं।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि डीमैटरियलाइज्ड रूप में धारित शेयरों के मामले में वे अपनी ई-मेल आईडी तथा अन्य संबंधित ब्यौरे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ अद्यतन रखें तथा भौतिक रूप में धारित शेयरों के मामले में कंपनी/आरटीए के साथ अपने ब्यौरे अद्यतन रखें।

राइट्स लि. के लिए एवं की ओर से
हस्ता/–
(निखिल अग्रवाल)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एम. सं.: A42626

दिनांक: 22.10.2026
स्थान: गुरुग्राम

We Shape What Shapes Lives — www.rites.com
Future Ready — Not just more of the same; but much more of the New!

कार्यालय वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण–I, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

बिक्री उद्घोषणा

आर.सी. सं.163/2024 — नीलामी बिक्री की तिथि: 20/11/2026

बैंक और वित्तीय संस्थान को ऋण वसूली अधिनियम 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत बिक्री की उद्घोषणा

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम मिर्जा इरफान बेग

(सीडी 1) मिर्जा इरफान बेग पुत्र मिर्जा शाहरुख बेग, मैसर्स स्टार मैन्युफैक्चरिंग क. के प्रोप. जिसका पंजीकृत कार्यालय : 711, फाटक घोबियान, फराश खाना, उत्तरी दिल्ली–110006
अन्य पता: सी 41, बी / 3 ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद, यू.पी.
अन्य पता: 279, कूचा घासीराम, चांदनी चौक, दिल्ली–110006
अन्य पता: 1806 / 2, गली नीम वाली, कटरा शेख चंद, फराश खाना, दिल्ली–110006
(सीडी2) अखलाक अहमद पुत्र समीर अहमद, 1250, कटरा हुसैन मिर्जा, फराश खाना, दिल्ली–110006
(सीडी3) उबैद शहीद पुत्र रशीद शहीद, 1188, पहली मंजिल, तिलक बाजार, फाटक हबाश खान, नया बाजार, नॉवेल्टी सिनेमा, दिल्ली–110006
(सीडी4) सलामत अली पुत्र आशिक अली, 1209, चूड़ीवालान, वसीम गेस्ट हाउस, जामा मस्जिद, दिल्ली–110006

1. जहाँ पर पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण– I द्वारा वसूली प्रमाणपत्र सं. 163 / 2024, टी.ए. नं. 1089 / 2023 के द्वारा वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार वाद के शुरुआत से रु. 2,37,34,788.06 साथ में टीए की फाईलिंग की तिथि अर्थात 10.02.2022 से @12.25% प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार और वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार लागत और शुल्क सहित प्रमाणपत्र देनदार की लागत का भुगतान भी करना होगा।
2. और जहाँ पर अधोहस्ताक्षर ने इस प्रमाणपत्र से संतुष्ट हो कर निम्नलिखितानुसार अनुसूची में संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
3. और जहाँ पर प्रतिवादी द्वारा रु. 2,37,34,788.06 साथ में टीए की फाईलिंग की तिथि अर्थात 10.02.2022 से @12.25% वार्षिक ब्याज के साथ वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार और वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार लागत और शुल्क सहित प्रमाणपत्र देनदार की लागत का भुगतान भी करना होगा। सूचित किया जाता है कि स्थगन के किसी आदेश के आभाव मे सम्पत्ति की ई-नीलामी वेबसाइट : https:/bankauctions.in पर "ऑन लाईन ईलेक्ट्रॉनिक बिडींग" के माध्यम से दिनांक 20.11.2026 को दोपहर 12.00 बजे से अप. 01.00 बजे तक (अपाह 01.00 बजे के बाद 5 मिनट प्रत्येक की अवधि के विस्तार के साथ, यदि अपेक्षित है) किया जायेगा।
4. ई–नीलामी हेतु प्रस्तावित संपत्ति का विवरण इस प्रकार है

क्र.सं	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.)	ईएमडी
1.	दूसरी मंजिल पर आवासीय फ्लैट, बिना छत के अधिकारों के जिसका संख्या बी–24, खसरा संख्या 1310, हयात एन्क्लेव, ग्राम लोनी, तहसील एवं जिला – गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर	रु. 28.00 लाख	रु. 2.80 लाख

5. इच्छुक बोलीदाताओं को धरोहर राशि डी डी / पे आर्डर के रूप में जो कि "Recovery Officer, DRT-I, Delhi-A/c R.C No. 163/2024 के पक्ष मे दिल्ली मे देयगोग्य हो स्व–प्रमाणित पहचान साक्ष्य (वोटर आई डी कार्ड / ड्राईविंग लाईसेंस / पासपोर्ट) और पैन कार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति सहित, जिसमें पत्राचार का पता अंकित हो, जो वसूली अधिकारी, डीआरटी– I, दिल्ली के कार्यालय मे दिनांक 18.11.2026 को अपाह 05.00 बजे से पहले जमा कराना होगा। धरोहर राशि इसके पश्चात नीलामी के लिए स्वीकार नही की जायेगी। असफल बोलीदाता ई–नीलामी बिक्री कार्यवाही बंद होने पर ई–नीलामी सेवा प्रदाता / बैंक / वित्तीय संस्थान से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सीधे रजिस्ट्री, डीआरटी– I, दिल्ली से ईएमडी वापिस लेगा।
6. धरोहर राशि वाले लिफाफे के उपर "R.C No. 163/2024" अंकित होना चाहिए और साथ में बोलीदाता का ई–मेल आई डी और मोबाईल न. भी अंकित होना चाहिए।
7. इच्छुक बोलीदाताओं को हमारे ई–नीलामी सर्विस प्रोवाईडर के पास पहले पंजीकृत कराना होगा और ई–नीलामी में भाग लेने के लिए यूजर आई डी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा और मेसर्स 4 क्लोजर, 605ए, 6वीं मंजिल, मैत्रीवनम, अमीरपेट, हैदराबाद – 500038, श्री उत्कर्ष आदेश – 9515160064, 8142000030, 8142000066, ईमेल: info@bankauctions.in, shailender@bankauctions.in के साथ सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है।
8. संभावित बोलीदाताओं को पोर्टल के साथ स्वयं को पंजीकृत करना और पहले से ही उपयोगकर्ता आईडी / पासवर्ड प्राप्त करना आवश्यक है, जो मेसर्स 4 क्लोजर से उपरोक्त ई–नीलामी में बोली लगाने के लिए अनिवार्य है।
9. संबंधित बैंक अधिकारियों / हेल्पलाइन नं. आदि का विवरण निम्नानुसार है:

नाम एवं पदनाम	ई-मेल और फोन नं.
श्रीमती शिप्रा काया (मुख्य प्रबंधक)	मो. 7428926731 ईमेल: bmdelb0290@centralbank.bank.in

10. जो बेचे जाने का प्रस्ताव है वे अधिकार हैं जिनके लिए प्रमाणपत्र देनदार संपत्तियों के संबंध में हकदार हैं। संपत्तियों को देनदारियों, यदि कोई हो, के साथ बेचा जाएगा। उद्घोषणा में दर्शाई गई संपत्तियों की सीमा वसूली प्रमाणपत्र अनुसूची के अनुसार है। वसूली अधिकारी किसी भी कारण से सीमा में किसी भी बदलाव के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। संपत्तियों की बिक्री "जहां है जैसी है" और "जैसी है जैसी है" शर्त पर की जाएगी। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बैंक के पास उपलब्ध स्वामित्व विलेखों की प्रतियों का अवलोकन करें और संपत्ति विवरण ऋणभार आदि की पहचान और शुद्धता की जांच करें।
11. संपत्ति की बिक्री की तारीख से पहले संभावित बोलीदाताओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है जिसके लिए बैंक के उपरोक्त नामित अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
12. यदि कोई बोली या सभी बोलियाँ अस्वीकार्य पाई जाती हैं तो वसूली अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री प्रास्थगित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।
13. ऐसे बोलीदाताओं को असफल बोली लगाने वाले की ईएमडी पहचान प्रमाण पत्र जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर–आईडी वैध ड्राइविंग लाइसेंस या सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र की पहचान / प्रस्तुत करने पर डीआरटी– I की रजिस्ट्री से प्राप्त होगी। असफल बोलीकर्ता अपनी ईएमडी की वापसी सुनिश्चित करेंगे और, यदि उचित समय के भीतर प्राप्त नहीं होते हैं, तो तुरंत वसूली अधिकारी, डीआरटी– I, दिल्ली / रजिस्ट्री, डीआरटी– I, दिल्ली या बैंक से संपर्क करें।
14. उपरोक्त नाम के प्रतिवादी की सम्पत्ति की बिक्री निम्नलिखितानुसार सम्पत्ति के लिए संलग्न देनदारियों एवं दावें को जैसा अभी तक निर्धारित किया गया है, वे प्रत्येक लॉट के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।
15. संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट बिक्री हेतु रखा जाएगा, यदि सम्पत्ति भाग की बिक्री की राशि संतुष्टि लायक होगी तो शेष के संबंध में बिक्री को तुरन्त समाप्त कर दिया जाएगा। नीलामी समाप्त होने से पूर्व बिक्री समाप्त कर दी जाएगी यदि बिक्री कर रहे अधिकारी के समक्ष प्रमाणपत्र में उल्लिखित बकाया, ब्याज शुल्क (बिक्री लागत सहित) प्रस्तुत करने होंगे अथवा उनकी संतुष्टि के साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि प्रमाणपत्र, ब्याज एवं लागत अद्योहस्ताक्षरी को भुगतान किए जा चुके हैं।
16. बिक्री से संबंधित कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति निविदा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति की बिक्री के लिए बोली, अधिग्रहण अथवा प्रयास नही करेगा।
17. आयकर अधिनियम 1961 के द्वितीय अनुसूची के शर्तों एवं उसके नियमों के तहत तथा निम्न शर्तों के अनुरुप ही बिक्री की जाएगी। बिक्री उद्घोषणा के अनुसूची में उल्लिखित विवरण अद्योहस्ताक्षरी के सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है परन्तु किसी त्रुटी, गलत बयान अथवा उद्घोषणा में चूक के होने पर अद्योहस्ताक्षरी की जवाबदेही नहीं होगी।
18. निविदा राशि जहाँ से बिड राशि को बढ़ाया जाएगा रु. 20,000 / – (रु. बीस हजार केवल) निविदा राशि पर अथवा निविदादाता द्वारा किसी विवाद पर लॉट के लिए नीलामी को तुरंत दोबारा प्रारंभ करवाया जाएगा।
19. किसी भी लॉट के सर्वोच्च / उच्चतम बोलीदाता को क्रेता घोषित किया जाएगा बशर्ते की वह बोली लगाने के लिए कानूनन योग्य है एवं उसके द्वारा लगाई गयी बोली आरक्षित मूल्य से कम नही है। उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के विवेकाधीन होगा, यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्टतः इतना अपर्याप्त हो जिसे प्राप्त करना अनुचित हो।
20. सफलतम / उच्चतम बोलीदाता को बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत राशि वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण– I, दिल्ली, खाता R.C. No. 163/2024 के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट / पे–ऑर्डर के द्वारा ऑन लाईन निलामी के 24 घण्टे के अंदर तैयार करना होगा और धरोहर राशि को समायोजित करने के पश्चात् यह ऑनलाइन निलामी के बंद होने से तीन दिनों के भीतर रिकवरी अधिकारी के कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए, ऐसा ना करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
21. सफलतम / उच्चतम बोलीदाता सम्पत्ति बिक्री मूल्य की बकाया 75 प्रतिशत राशि वसूली अधिकारी, डी आर टी– I, दिल्ली, खाता R.C. No. 163/2024 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट / पे–ऑर्डर के द्वारा सम्पत्ति की बिक्री की तिथि (उस दिन को छोड़कर) से 15वें दिन या उससे पहले वसूली अधिकारी, डी आर टी– I, दिल्ली के समक्ष जमा करेगा और यदि 15वें दिन रविवार या अवकाश होता है तो अगले कार्य दिवस पर (15 दिन के पश्चात्) ऐसा किया जाएगा। एवं 2 प्रतिशत रु. 1000 / – तक और उसके बाद शेष राशि पर 1 प्रतिशत की दर से पाउण्डेज फीस का भुगतान रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण– I, दिल्ली के पक्ष में जमा करवाना होगा (75 प्रतिशत शेष जमा राशि के मामले में यदि पोस्ट के माध्यम से भेजा जाता है तो उपरोक्तानुसार मे वसूली अधिकारी के ऑफिस में पहुँच जाना चाहिए)।
22. यदि निर्धारित अवधि के अन्दर भुगतान नही किया जाता है, तो सम्पत्ति को बिक्री की नई उद्घोषणा के निर्गमन के बाद पुनः बेचा जाएगा। बिक्री के खर्चों को चुकाने के बाद बची रकम यदि अद्योहस्ताक्षरी इसे सही समझता है, तो सरकार के खाते में जब्त कर दी जायेगी तथा दोषी क्रेता सम्पत्ति के या उस राशि के किसी भी भाग जिसके लिए उसे बाद मे बेचा जा सकता है, के दावे जब्त कर लिए जायेंगे।

सम्पत्तियों की अनुसूची

लॉट नं.	अन्य सह मालिकों के नाम के सहित, बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण, जहाँ सम्बन्धित सम्पत्ति डिफाल्टर या जो किसी अन्य व्यक्ति के सह-स्वामित्व में है।	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है	किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है	विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के सम्बंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियां जोकि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है।
1.	दूसरी मंजिल पर आवासीय फ्लैट, बिना छत के अधिकारों के जिसका संख्या बी–24, खसरा संख्या 1310, हयात एन्क्लेव, ग्राम लोनी, तहसील एवं जिला – गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल 154 वर्ग मी.	कोई सूचना प्राप्त नहीं		

न्यायालय की मोहर — 19/09/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं अधिकरण की मोहर के साथ जारी किया गया।

हस्ता/- निरंजन शर्मा, वसूली अधिकारी-II
ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली

TINNA RUBBER AND INFRASTRUCTURE LIMITED

Registered Office : Tinna House No.6, Sultanpur, Mandi Road, Mehrauli, New Delhi-110030.
Website : www.tinna.in, Email : investor@tinna.in, Telephone No.: 011-35657373, CIN : L51909DL1987PLC027186

Tinna® Caring for Environment

INDIA'S Leading End of Life Tyre (ELT) Recycling Company

UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2026

(Rs. in Lakhs)

S. No.	PARTICULARS	STANDALONE						CONSOLIDATED					
		Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended	Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended
		30-Sep-26	30-Jun-26	30-Sep-25	30-Sep-26	30-Sep-25	31-Mar-26	30-Sep-26	30-Jun-26	30-Sep-25	30-Sep-26	30-Sep-25	31-Mar-26
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1.	Total Income from Operations	15,029.18	15,147.72	11,709.23	30,176.90	24,475.62	53,509.03	15,731.86	15,680.74	11,976.06	31,412.60	25,039.54	54,775.96
2.	Net profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,229.79	2,701.76	1,693.64	4,931.55	3,171.46	7,228.36	2,326.13	2,732.65	1,645.36	5,058.78	3,171.45	7,233.03
3.	Net profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,229.79	2,701.76	1,693.64	4,931.55	3,171.46	7,228.36	2,326.13	2,732.65	1,645.36	5,058.78	3,171.45	7,233.03
4.	Net profit/(loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,606.07	2,011.22	1,233.80	3,617.29	2,332.06	5,323.54	1,703.93	2,056.64	1,176.68	3,760.57	2,350.77	5,284.13
5.	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive Income (after Tax)	1,606.07	2,011.22	1,233.80	3,617.29	2,332.06	5,113.92	1,722.51	2,073.54	1,232.23	3,796.05	2,412.67	5,231.53
6.	Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 each)	1,801.58	1,801.58	1,801.58	1,801.58	1,801.58	1,801.58	1,801.58	1,801.58	1,801.58	1,801.58	1,801.58	1,801.58
7.	Other Equity						27,509.68						28,236.02
8.	Earning Per Share(face value of Rs 10/- each share) (for continuing & discontinued operation)												
	(a) Basic	8.91	11.16	7.01	20.08	13.41	29.90	9.46	11.42	6.87	20.87	13.71	29.68
	(b) Diluted	8.91	11.16	7.01	20.06	13.40	29.88	9.45	11.41	6.86	20.86	13.69	29.67

NOTE :-
1. The above is an extract of the detailed format of Half year/Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Half year/Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites ie www.bseindia.com , www.nseindia.com and on the company's website www.tinna.in
2. The above results have been reviewed by the Audit Committee on 22nd October, 2026 and approved by the Board of Directors at its meeting held on 22nd October, 2026 and statutory Auditor has carried out limited review of the same.

Place : New Delhi
Date : October 22, 2026

FOR TINNA RUBBER AND INFRASTRUCTURE LIMITED
Managing Director